# न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /37/2017

1–सूकला पत्नी स्व. श्री रघुवीरसिंह (मृतक)
2–भिक्की सिंह
3–हरीसिंह
4–बीधा सिंह
} पुत्रगण रघुवीर सिंह जाति जाट निवासी ग्रांम मडरपुर तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

**बनाम**

1–महावीर
2–रनवीर
} पुत्रान कमलसिंह जाति जाट निवासी ग्रांम अरदाया तहसील किरावली जिला आगरा यू.पी.

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर बाबत नामान्तकरण संख्या 335 दिनांक 30.5.2017 बाके ग्रांम मडरपुर तहसील भरतपुर

———

उपस्थितः–
1– श्री महाराजसिंह डांगुर,अभिभाषक अपीलान्ट,
2– श्री रुपेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पो. नं.1

**निर्णय** दिनांक 27.12.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ नामान्तकरण संख्या 335 दिनांक 30.5.2017 बाके ग्रांम मडरपुर, तहसील भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 335 दिनांक 30.5.2017 रेस्पो. नं. 1 व 2 के हक में स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 5.10.2017 को पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पो. नं.1 की ओर से अभिभाषक श्री रुपेन्द्र सिंह का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल मिसिल है, तथा रेस्पो. 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आया है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि सहायक कलक्टर भरतपुर की डिग्री/निर्णय के आधार तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 335 दिनांक 30.05.2017 स्वीकार किया है, कथित निर्णय/डिग्री की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि जब निर्णय/डिग्री की अपील सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

को कथित निर्णय/डिग्री के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार नहीं कराना चाहिये था। रेस्पो. का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है, रेस्पो ने अपीलान्ट की फर्जी तामील कराकर एकतरफा में डिग्री प्राप्त की है। जिसकी अपील आर.ए. ए. न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी हल्का पटवारी से दिनांक 3.10.17 को हुई, जानकारी होने पर नकल वगे0 लेकर अपील पेश की गई है। अपील की देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अपील की देरी को माफ करते हुये अपील स्वीकार की जाकर नियमों के विपरीत पारित अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 335 को निरस्त किया जावे।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. नं.1 का तर्क है कि अपीलाधीन नामान्तकरण सहायक कलेक्टर के निर्णय/डिग्री के आधार पर खोला जाकर स्वीकार किया गया है, जिसमें तहसीलदार ने कोई गलती नहीं की है। विवादित आराजी से अपीलान्ट का कोई लेना देना नहीं है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अपील म्याद बाहर पेश की गई है, अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को शुरु से ही है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया।

अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 335 का अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तकरण में अंकित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है:–

"....डिक्री/इजराय का दा0खा0 दर्ज कर श्रीमान की सेवा मे स्वी. हेतु पेश है...."

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

नामान्तकरण पर हो रही हल्का पटवारी की उक्त रिपोर्ट से यह र्विवाद है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 335 सहायक कलेक्टर, भरतपुर निर्णय/डिक्री की पालना में खोला जाकर तहसीलदार भरतपुर ने दिनांक 0.5.2017 को स्वीकार किया है। जिसमें तहसीलदार भरतपुर ने कोई त्रुटि नहीं की है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेजी पेश नहीं किया है जिससे कथित निर्णय डिग्री पर स्थगन हो। जहॉ तक प्रश्न ए.सी.एम. भरतपुर के कथित निर्णय/डिग्री के खिलाफ न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर में अपील विचाराधीन का है, न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर द्वारा जो भी निर्णय पारित किया जावेगा तद्नुसार पक्षकार कार्यवाही को स्वतन्त्र है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 335 दिनांक 30.5.17 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

**अतः आदेश है कि :–**

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

**(डॉ. अमित यादव)**
**जिला कलक्टर**
**भरतपुर**